(12)

पत्रांक ......1560......./

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

श्री जे0 बी0 तुबिद,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

1. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
2. सभी उपायुक्त
3. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
5. सभी जिला शिक्षा अधीक्षक
6. सभी अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी
7. सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी
8. सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
9. सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक विद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या (झारखण्ड राज्य स्थिति)

राँची, दिनांक 6 जून, 2008

विषयः राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृति योजना (National Means-Cum-Merit Scholarship Scheme) NMMS परीक्षा 2007–08 एवं आगामी वर्षों के आयोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के छीजन रोकने एवं उनके आर्थिक सहायतार्थ वर्ष 2007–08 से राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृति नामक केन्द्र प्रायोजित योजना आरंभ की गयी है। इसके आलोक में राज्य सरकार ने छात्र हित में इस योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

02. परीक्षा आयोजन की तिथि– 17 अगस्त,2008 (रविवार)

समय – सामान्य छात्रों हेतु पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक

विकलांग छात्रों के लिए पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक

03. पात्रता

इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2007–08 की परीक्षा में निम्न छात्र–छात्रा परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे–

(i) छात्र–छात्रा झारखण्ड राज्य अंतर्गत राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित एवं नियमित रुप से अध्ययनरत् हो।

(ii) वर्ष 2007–08 में वर्ग आठ की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हुआ हो (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट होगी) एवं वर्ष 2008–09 में वर्ग 9 में नियमित रुप से अध्ययनरत्त हो।

(iii) जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार) रुपये से अधिक नहीं हो।

04. वर्ष 2008–09 से राष्ट्रीय साधन–सह– मेधा छात्रवृति परीक्षा राष्ट्रीय प्रतिमा खोज परीक्षा के साथ–साथ आयोजित होगी।

05. इसमें राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक विद्यालय के वैसे छात्र–छात्रा सम्मिलित होंगे जिन्होंने 55 प्रतिशत अंक के साथ वर्ग सात की परीक्षा उत्तीर्ण की हो (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु अंकों में 5 प्रतिशत की छूट है) एवं वर्ग आठ में नियमित रुप से अध्ययनरत हो तथा उनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं हो।

06. भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए कुल 1959 छात्रवृति निर्धारित की गयी है। जिला स्तर पर चयनित छात्र–छात्राओं को वर्ग 9 से वर्ग 12 तक (अधिकतम 4 वर्ष) लगातार अध्ययनरत रहने पर प्रति वर्ष 6000/–रुपये की दर से त्रैमासिक बैंक खाता के माध्यम से छात्रवृति प्रदान की जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र/छात्रा को आगे छात्रवृत्ति जारी रहने हेतु वर्ग 9 एवं वर्ग 11 की परीक्षा न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंक एवं वर्ग 10 की परीक्षा न्यूनतम् 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु अंकों में 5 प्रतिशत की छूट है)।

07. जिलावार छात्रवृति की संख्या निम्नवत है–

क्रम	जिला का नाम	छात्रवृति की संख्या
1.	बोकारो	102
2.	चतरा	68
3.	देवघर	81
4.	धनबाद	133
5.	दुमका	60
6.	पूर्वी सिंहभूम	178
7.	गढ़वा	88
8.	गिरिडीह	255
9.	गोड्डा	49
10.	गुमला	68
11.	हजारीबाग	81
12.	रामगढ़	77
13.	जामताड़ा	40
14.	कोडरमा	38
15.	लातेहार	36
16.	लोहरदगा	36
17.	पाकुड़	37
18.	पलामू	124
19.	राँची	115
20.	खूँटी	53

21.	साहेबगंज	50
22.	सरायकेला	64
23.	सिमडेगा	53
24.	प० सिंहभूम	73
	कुल :	1959

08. **आरक्षण**– झारखण्ड राज्य में लागू आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को देय होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय होगा। इस हेतु जिला असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत विकलांकता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

09. **परीक्षा पद्धति**– परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिये एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुरुप किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रश्नपत्र दो खण्डों में होगा–

खण्ड–1 – बौद्धिक योग्यता परीक्षण (Mental Ability Test) – इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे जिसके लिए 90 मिनट का समय निर्धारित होगा। इसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे।

खण्ड–2 – शैक्षिक योग्यता परीक्षण (Scholastic Ability Test)– इसके अन्तर्गत प्राकृतिक विज्ञान, समाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्न समाहित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 90 होगी तथा इसके लिए 90 मिंनट समय निर्धारित रहेगा। इसके भी सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे। सभी प्रश्न वर्ग 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होगा।

विकलांग छात्र–छात्राओं को दोनों खण्डों में निर्धारित समय से 30 मिनट अधिक समय दिया जायेगा।

10. **शुल्क**– सामान्य कोटि के छात्र–छात्राओं हेतु – 30/–रुपये एवं
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु 15/–रुपये

11. **चयन हेतु अर्हता**– चयन हेतु प्रत्येक खण्डों (मैट एवं सैट) में सामान्य कोटि के छात्र–छात्राओं को न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को न्यूनतम 32 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम अधिसीमा से कम अंक प्राप्त करने की स्थिति में छात्र वृति हेतु पात्रता पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. **चयन प्रक्रिया**– परीक्षा में सम्मिलित छात्र–छात्राओं के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा कराया जायेगा। दोनों खण्डों के प्राप्त अंकों के योग पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

13. **राज्य स्तरीय** –परीक्षा आयोजन राज्य नोड्‌ल पदाधिकारी छात्रवृति की देख रेख में कराया जायेगा। नोड्‌ल पदाधिकारी परीक्षा से संबंधित सभी कार्य यथा प्रचार–प्रसार, विज्ञप्ति, परीक्षा कार्यक्रम, प्रश्न पत्र का चयन, मुद्रण, उत्तर पत्रों का मूल्यांकन, मेधा सूची का निर्माण करायेंगे। सफल छात्र–छात्राओं का मेधासूची का प्रकाशन राज्य सरकार से अनुमोदन से किया जायेगा।

(23) (09)

जिला स्तरीय– परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित होगी। परीक्षा कोषांग से प्राप्त सादा आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को हस्तगत कराना तथा छात्रों द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर एवं समेकित सूची तैयार कर परीक्षा कोषांग को हस्तगत कराना आदि सम्पूर्ण कार्य का दायित्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी का होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि प्रत्येक विद्यालय से पात्रता रखने वाले कम से कम पॉच छात्र एवं पॉच छात्रा परीक्षा में सम्मिलिति हो रहे हैं।

14. वर्ष 2007–08 के लिये परीक्षा कार्यक्रम :–

क्रम सं0	परीक्षा कार्यक्रम	तिथि
(i)	परीक्षा की तिथि	17.08.2008
(ii)	जिला शिक्षा पदाधिकारी को सादा आवेदन पत्र एवं समेकित सूची परीक्षा कोषांग द्वारा हस्तगत कराने की तिथि	20.06.2008
(iii)	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक को सादा आवेदन पत्र हस्तगत कराने की तिथि	21.06.2008
(iv)	छात्रों द्वारा आवेदन पत्र भरने की तिथि	23.06.2008 से 10.07.2008 तक
(v)	प्रधानाध्यापक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को हस्तगत कराने की अंतिम तिथि	12.07.2008
(vi)	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, पूर्णरूप से भरा हुआ समेकित सूची एवं शुल्क का बैंक ड्राफ्ट परीक्षा कोषांग में हस्तगत कराने की तिथि	15.07.2008
(vii)	परीक्षा कोषांग द्वारा प्रवेश पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेजने की तिथि	30.07.2008
(viii)	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक को प्रवेश पत्र हस्तगत कराने की तिथि	02.08.2008
(ix)	प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र–छात्राओं को प्रवेश पत्र हस्तगत कराने की तिथि	02.08.2008

(जे0 बी0 तुबिद)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1560 / रॉची, दिनांक 6-6-08 /

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / निदेशक माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं श्री राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी, नोड्ल पदाधिकारी राष्ट्रीय प्रतिमा खोज परीक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जे0 बी0 तुबिद)
सरकार के सचिव

OPERATIONAL GUIDELINE OF CENTRAL SECTOR NATIONAL MEANS-CUM-MERIT SCHOLARSHIP SCHEME

1.0 The Scheme:

1.1 Under this scheme, 100,000 scholarships are awarded to the gifted or meritorious students whose parental income is not more than Rs. 1,50,000/- per annum from all sources. Each State /UT have fixed quota of scholarship as given at Annexure of concerned age group of class VII and VIII. The scheme would provide reservation to different categories of students as per the State/UT norms; as different States/UTs have their own norms of reservation.

1.2 These scholarships will be provided on yearly basis to the students studying as regular students in class IX in a Government, Government-aided and local body schools which will be renewed for classes X, XI and XII. Thus the scholarships will be for a maximum period of four years.

1.3 The amount of scholarship will be Rs. 12000/- per annum @ Rs. 1000 per month.

1.4 A separate examination shall be conducted by the State Governments/UT Administrations for selection of students for the award of the National Means-cum-Merit Scholarships in the States/UTs.

2.0 Procedure for Selection of Awardee Students:

2.1 Each State/UT will conduct its own test for selection of students for the award of the National Means-cum-Merit Scholarship. The State Level Examination may consist of the following two tests:

(i) Mental Ability Test (MAT)

(ii) Scholastic Aptitude Test (SAT)

2.2 The students shall have minimum of 55 % marks or equivalent grade in Class VII examination for appearing in selection test for award of scholarship (relax able by 5% for SC/ST students). The students should be studying as regular student in a Government, Government-aided and local body schools.

2.3 **Mental Ability Test** may consist of 90 multiple-choice questions testing verbal and non-verbal meta-cognitive abilities like reasoning and critical thinking. The questions in the test may be on analogy, classification, numerical series, pattern perception, hidden figure etc.

2.4 **Scholastic Aptitude Test** may consist of 90 multiple-choice questions covering subjects namely, science, social studies and mathematics as taught in classes VII and VIII.

2.5 **Duration of the Test**

Each test will be of 90 minutes duration. Children with disability will be given extra time, as applicable.

3.0 **Declaration of Results**

3.1 For selecting the students, the following conditions may apply:

(i) The students must pass both the tests i.e. MAT and SAT with at least 40 % marks in aggregate taken together for these two tests. For the SC/ST students, this cut off will be 32% marks.

(ii) At the time of selection for the award of scholarship the student must have scored at least 55% mark or equivalent grade in Class VIII examination. There will be 5 % relaxation for SC/ST students.

(iii) The awardees should satisfy the eligibilities and the conditions mentioned in the scheme.

4.0 **Disbursement of Scholarships**

4.1 A student can avail only one Scholarship under any scheme.

4.2 The awardees will be required to open bank accounts preferably in SBI, or any public sector bank or any scheduled bank which has core banking facility.

4.3 The State Governments / UT Administrations shall normally send the proposals/ list of beneficiaries on-line on the Scholarship Portal. The Ministry will scrutinize the proposal and sanction funds from Annual Budget Provision for releasing them to SBI, the implementing bank for scheme for disbursal of scholarships to students directly into their bank accounts by electronic transfer.

4.4 The awardees should get minimum of 55% marks in Class IX and XI and 60% in Class X for continuance of scholarship (relaxable by 5% for SC/ST candidates) in next higher classes.

4.5 SBI will ensure that the scholarship is paid to awardees in one go (Rs. 12000) immediately after getting the funds and the lists from the Ministry.

4.6 SBI will instruct some of its branches to coordinate with the State Education Department in connection with the payment of scholarships.

5. **General Eligibility Conditions**

5.1 An awardee is eligible for the scholarship provided he/she:

i. takes up studies in approved courses.

ii. maintains good conduct as certified by the Head of the College/Institution and continues his/her studies as a regular student in a Government/Government-aided /Local Body school.

iii. does not absent himself/herself without proper leave.

iv. takes up studies on a whole time basis.

v. does not take up any job.

5.2 No scholarship shall be available for studies abroad for any course.

5.3 No claim for scholarship arrears will be entertained after the expiry of 12 months of the academic session for which one has applied for the claim.

5.4 In case any awardee leaves his/her course of study within one month of registration/admission, no scholarship shall be paid to him/her.

5.5 In case awardee is not able to appear at the annual examination due to serious illness, one should send the medical certificate through the Head of the Institution within three months of one's falling ill. The duration of illness should be clearly certified by a specialist, who is a Registered Medical Practitioner. The facility will be available to the awardee to continue the same course in which one is studying provided the principal or the head of the institution certifies that the overall performance of the awardee during the year is 50% or above.

5.6 The awardee must join the next class/desired course within 3 months of the declaration of the result of the previous class/course.

5.7 Scholarship shall be deemed to be discontinued with any gap of one academic session in studies at any time due to any reason.

5.8 Scholarship once discontinued on the basis of the rules of disbursement of scholarship cannot be revived under any circumstances.

5.9 All rules are subject to change from time to time, as and when required, which will be binding on all awardees.

6.0 <u>Eligibility and other conditions for starting and continuing of Scholarship at Secondary and Higher Secondary Stage</u>

6.1 The awardees should get clear promotion from class VIII to Class IX for being eligible for starting the scholarship.

6.2 The scholarship at the secondary and higher secondary stage or equivalent classes IX to XII is payable for a maximum period of four years for studies in India only.

6.3 No scholarship at this stage is payable for studying diploma/certificate level courses.

6.4 For continuing the scholarship in class X and XII, the awardees should get clear promotion from class IX to class X and from class XI to class XII in the first attempt with 55% marks (relaxable by 5% for SC/ST students)

6.5 The awardees must obtain a minimum of 60 per cent marks in Class X (relaxable by 5% for SC/ST students) examination or equivalent examination for continuation of the scholarship at higher secondary stage.

6.6 In case an institution/school does not conduct an examination at the end of Class IX and / or Class XI, the scholarship for the second year will be continued on the submission of a certificate to this effect from the Head of the Institution/School.

7.0 The scheme will be further in operation beyond March 2017 from the financial year 2017-18 and the selection test for the awarded of scholarship will be conducted for Class IX students in November every year as a separate test by the State Governments/UT Administrations.

8.0 A Technical Support Group (TSG) consisting of Consultants / support staff etc. may be constituted for assisting in effective implementation and monitoring of the scheme.

9.0 The scheme will be monitored in the Department at regular intervals with the concerned Stake holders.

10.0 The scheme may be reviewed after three years.

******